न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2020 / 00016

वाद संख्या :– 10 / 2020

आम जनता ग्राम गुढ़ासुर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक :– 09.11.2020

संक्षेप में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के तहत इस प्रकार का पेश किया है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 1 में स्थित हाल ख0नं0 256 रकबा 1.86 हैक्ट0 भूमि गै0मु0 शमशान में दर्ज है। उक्त हाल खसरा नम्बर 256 का साबिक खसरा नम्बर 370 था साबिक नक्शा अनुसार हाल नक्शा कायम नहीं कर सेटलमेन्ट विभाग में त्रुटि की है जिससे ग्रामवासियों को असुविधा होती है। इसलिए साबिक नक्शा अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त किये जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गयी। तहसीलदार आमेर से प्रार्थना–पत्र की जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। जो उनके पत्रांक / भू.अ. / 2020 / 1719 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा इस आशय की प्राप्त हुई है कि ग्राम गुढ़ासुर्जन के ख0नं0 256 रकबा 1.86 हैट0 किस्म गै.मु. श्मशान जिसकी खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अनुसार ख0नं0 256 का हाल नक्शें से रकबा बरारी करने पर रकबा 1.73 हैक्ट0 बनता है जबकि आराजी का रकबा मुताबिक रिकॉर्ड 1.86 हैक्ट0 इस प्रकार 0.13 हैक्ट0 नक्शे में कम है। इसी क्रम में आराजी का मिलान क्षेत्रफल देखा गया। जिसके अनुसार हाल ख0नं0 256 रकबा 1.86 है0 के गत ख0नं0 370 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा रहा है। जिसके अनुसार रकबे में कोई कमी–बेशी नहीं रही है। मात्र आराजी का नक्शा हाल भू–प्रबंध में गत के मुकाबले 0.13 हैक्ट0 छोटा बना हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

इस क्रम में यह है कि हाल ख0नं0 256 के नक्शे को गत ख0नं0 370 (मिलान क्षेत्रफलानुसार) मिलान किया गया तो पाया कि गत ख0नं0 370 का आंशिक भाग मुताबिक नक्शा गत के 0.02 हैक्ट0 हाल ख0नं0 255 में व 0.10 हैक्ट0 हाल ख0नं0 254 जिसके गत ख0नं0 369 एवं 317 में एवं 0. 01 हैक्ट0 हाल ख0नं0 257 जिसके गत ख0नं0 276 में शामिल हो जाने से हाल ख0नं0 256 का नक्शा 0.13 है0 छोटा बन गया है। तथा ख0नं0 256 एवं ख0नं0 257 तथा 254 व 255 की रकबा बारारी केंघी प्रकार एवं चौमेड़ा से की गई। तो पाया कि ख0नं0 254, 255 एवं 257 में क्रमशः 0.02, 0.10 एवं 0.01 हैक्ट0 कुल 0.13 हैक्ट0 रकबा हाल नक्शे गत के मुकाबले अधिक आया है। जिससे ख0नं0 256 का नक्शाा 0.13 हैक्ट0 जो संलग्न नक्शें मे सुरखी कि दर्शाया गया है। अनुसार खसरे की सीमा में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

ख0नं0 254, 255 एवं 257 की सीमा जो ख0नं0 256 से लगती हुई जो संलग्न नक्शे में लाल स्याही से डॉटेड दर्शित है। को ख0नं0 256 के नक्शें में शामिल किया जाना है। ख0नं0 255 की खातेदारी भूराराम, राजू, रामलाल, श्रवण, सुजाराम पुत्र सेडू जाति कुम्हार सा0 देह के नाम तथा ख0नं0 254 की खातेदारी मालीराम पुत्र छोटूराम जाति अहीर सा0 देह एवं ख0नं0 257 की खातेदारी मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के नाम संलग्न चालू जमाबंदी प्रति अनुसार दर्ज है। भू–प्रबंध विभाग को किसी भी खसरे के रकबे को कमी या बेशी का अधिकार नहीं है। चूंकि ख0नं0 256 राजकीय श्मशान भूमि है। ऐसे में उक्त आराजी का रकबा जमाबंदी में तो पूरा है। परन्तु नक्शा 0.13 हैक्ट0 छोटा बना दिया गया है। जो काबिले शुद्धि बाद सुनवाई है।

तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर श्री हनुमान जी महाराज, मालीराम पुत्र छोटूराम यादव, भूराराम, राजू, रामलाल, श्रवण, सुजाराम पुत्र सेडू की नोटिस जरिये तलवी की गयी। उनकी ओर से बाबूलाल व हरदेव यादव उपस्थित हुए। मालीराम पुत्र छोटूराम यादव की ओर से दिनांक 08.07.2020 को एडवोकेट श्री महादेव जाट ने वकालतनामा पेश किया। तथा प्रार्थना पत्र तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट दिनांक 18.03.2020 के विरूद्ध पेश कर पुनः तहसीलदार आमेर से रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थीगण अधिवक्ता को सुनी जाकर प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। अप्रार्थीगण बाबूलाल, हरदेव तथा मालीराम के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 02.09.2020 को जवाब बंद किया गया। तथा प्रार्थना पत्र की बहस अप्रार्थी सरकार जरिए तहसीलदार आमेर की दिनांक 7.10.2020 को सुनी गयी। दौराने बहस तहसीलदार आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Khatara
Date: 2021.01.22 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

के मुताबिक रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर साबिक नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार हाल ख.न. 256 का राजस्व नक्शा साबिक ख.नं. 370 के अनुसार नहीं है। भू प्रबन्ध संक्रिया के दौरान हुई इस त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित मानते है और तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गुढ़ासर्जन तहसील आमेर के हाल ख.नं. 256 को साबिक ख.नं. 370 के राजस्व नक्शे अनुसार दुरूस्त करें। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का जूज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested